

फा.1/117(21)/2021-भ.IV

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-IV अनुभाग

| | |
|--------------|--|
| पद का नाम | केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, संस्कृति मंत्रालय में सहायक संपादक (तेलुगु) के पद की एक (01) रिक्ति। |
| विज्ञापन सं. | 05/2022 |
| रिक्ति सं. | 22030501412 |

- इस भर्ती मामले की संवीक्षा तथा लघुसूची तैयार करने संबंधी विवरण पहले दिनांक 10.06.2022 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।
- उम्मीदवारों को दिनांक 24.06.2022 तक अपने अभ्यावेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया था।
- यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी ई-मेल की जांच की जाएगी लेकिन उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया जाएगा जैसा कि पहले बताया गया है। आगे यह आश्वासन दिया गया कि संशोधित जांच और शॉर्टलिस्टिंग विवरण नियत समय में अपलोड किए जाएंगे।
- 03 आवेदकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन सभी की जांच की गई है।
- 01 आवेदक ने एलईक्यू-ए(i) श्रेणी के तहत, 01 आवेदक ने एलईक्यू-बी श्रेणी के तहत एवं 01 आवेदक ने अपूर्ण अनुभव प्रमाण पत्र श्रेणी के तहत अपनी अस्वीकृति के खिलाफ अभ्यावेदन भेजा है। उनकी अस्वीकृति को बरकरार रखा गया है। 01 आवेदक की अस्वीकृति को एलईक्यू-ए (i)) श्रेणी से अपूर्ण अनुभव प्रमाण पत्र श्रेणी में बदला गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में कोई बदलाव नहीं है।
- तदनुसार, आवेदनों की संशोधित जांच इस प्रकार है:-

| | | |
|--|------------------|--|
| लघुसूचीबद्ध करने के लिए अपनाए गए मापदण्ड | अनारक्षित | अ.यो. - क (i) (ii)+ अ.यो. - ख (i) (ii) |
| | अन्य पिछड़ा वर्ग | - |
| | अनुसूचित जाति | - |
| | अनुसूचित जनजाति | - |
| | पीडब्ल्यूबीडी | - |
| लघुसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक | अनुक्रमांक | शून्य |

:अस्वीकृत:

| लघुसूचीबद्ध नहीं किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक | श्रेणी जिसके अंतर्गत अस्वीकृत किया गया | अनुक्रमांक |
|---|---|--|
| | एलईक्यू-क(i) | 02 & 12. (02 उम्मीदवार) |
| | एलईक्यू-क(ii) | 01, 03, 04, 06, 07, 08 & 11. (07 उम्मीदवार) |
| | एलईक्यू-ख | 05. (01 उम्मीदवार) |
| | अपूर्ण: | |
| | अपूर्ण होने का कारण | अनुक्रमांक |
| | अपूर्ण अनुभव प्रमाण- पत्र – 5 वर्ष से कम का अनुभव | 09 & 10. (02 उम्मीदवार) |

| | |
|-------------------------------|--|
| <p>अपनाए गए मानदंड</p> | <p>(i) यह संवीक्षा उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन-पत्रमें दी गई जानकारी और उसके साथ अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों के अनुसार,कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है।</p> <p>(ii) उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सम्पूर्ण अनुभव अवधि पर विचार किया गया है।</p> <p>(iii) संवीक्षा हेतु अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसका उल्लेख ऑनलाइन भर्ती आवेदन(ओआरए) में किया गया है। ओआरए के अनुभव संबंधी कॉलम में अनुभव अवधि का उल्लेख किए बिना संलग्न किए गए प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(iv) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र फा. सं. 8/84/2010-भ.(समन्वय एवं नीति), दिनांक 23.12.2010 की शर्तों के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण-पत्रों पर, मेरिट के आधार पर विचार किया गया है। परंतु जिन उम्मीदवारों ने किसी अनुबंध का उल्लेख किया है परंतु उसे जमा नहीं किया है, उनके आवेदनों को 'अपूर्ण' मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है।</p> <p>(v) नियुक्ति-पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग-पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र तथा उम्मीदवारों द्वारा स्व-सत्यापित प्रमाण-पत्रों अथवा स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों पर अनुभव प्रमाण-पत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों के मामले में यह भी माना गया है कि उन्हें संगत क्षेत्र का अनुभव प्राप्त नहीं है परंतु इन्हें 'अपूर्ण'श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है।</p> <p>(vi) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों में कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार किए बिना उन्हें 'अपूर्ण' मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है। इसी प्रकार, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, परंतु इस दावे के समर्थन में जमा किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र संपूर्ण अवधि का नहीं है अथवा उनके दावे का समर्थन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>(vii) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। तथापि उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>(viii) जिन उम्मीदवारों ने 10वीं कक्षा तक तेलुगु भाषा का अध्ययन किया है उन्हें तेलगु भाषा में दक्ष माना जाएगा।</p> <p>टिप्पणी: आयोग द्वारा मानदण्डों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।</p> |
|-------------------------------|--|

संकेतक:

एलईक्यू-क(i) - अनिवार्य योग्यता-क(i) में कमी

एलईक्यू-क(ii) - अनिवार्य योग्यता-क(ii) में कमी

एलईक्यू-ख - अनिवार्य योग्यता-ख में कमी

वि. द्र.: केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, संस्कृति मंत्रालय में सहायक संपादक (तेलुगु) के पद की एक (01) रिक्ति पर भर्ती प्रकरण स्कूटनी चरण में निष्फल हो गई है।

उप सचिव (भ.IV)

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।